भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 509
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2020

नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

509. श्री गौतम सिगामणि पोन, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटील, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दूरसंचार क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या लगभग 10 मिलियन टन वार्षिक कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन केवल मोबाइल टॉवर साइटों पर उपयोग किए जाने वाले डीजल के उपयोग के कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दूरसंचार विभाग ने इस क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ एक संयुक्त कार्य बल की स्थापना का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हरित या नवीकरणीय ऊर्जा के साथ दूरसंचार टॉवरों को बिजली देने की तकनीकी व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के अलावा मोबाइल फोन कंपनियों के लिए कार्बन क्रेडिट नीति विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से (ग) जी, हां। सरकार दूरसंचार क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (आरईटी) के इस्तेमाल के लिए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:-

i. कार्बन फुटप्रिंट में कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीएसपी को स्वैच्छिक रूप से आरटीई समाधान, ऊर्जा किफायती उपस्कर तथा हाई कैपेसिटी फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन आदि अपनाना चाहिए।

ii. सेवा प्रदाता ऊर्जा किफायती नेटवर्क योजना, इंफ्रा-शेयरिंग, ऊर्जा किफायती प्रौद्योगिकियों के विकास वाला वोलेंटरी कोर ऑफ प्रैक्टिस तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आरईटी) को लागू करेंगे।

iii. सेवा प्रदाताओं को कार्बन फुटप्रिंट कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य वाले कार्बन क्रेडिट मानदंडों की तर्ज पर 'कार्बन क्रेडिट नीति' विकसित करनी चाहिए। वर्ष 2020 तक अंतिम लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधार वर्ष के कार्बन फुटप्रिंट स्तरों का अधिकतम 50% तथा शहरी क्षेत्र में आधार वर्ष में कार्बन फुटप्रिंट स्तरों का अधिकतम 66% हासिल करना होगा।

iv. वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2019-20 तक 'औसत कार्बन उत्सर्जन (प्रति यूनिट पेराबाइट टन CO_2e)' 30% है तथा वर्ष 2022-23 तक यह 40% है।

मोबाइल टावर के स्थानों पर केवल डीजल के इस्तेमाल से वर्ष में कार्बनडाईआक्साइड के उत्सर्जन के संबंध में इस समय कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उद्योग संबंधी कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि मोबाइल टॉवर वाले स्थलों पर डीजल के उपयोग के कारण वर्ष में लगभग 10 मिलियन टन कार्बनडाईआक्साइड का उत्सर्जन होता है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निर्देश में टीएसपी को स्व-प्रमाणन आधार पर कार्बन फुट प्रिंट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(घ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दूरसंचार टावरों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित समाधान सुझाने के लिए संयुक्त कार्य समूह के लिए दूरसंचार विभाग के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रति प्रदान की है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के साथ दूरसंचार टॉवरों में प्रयुक्त पारंपरिक जीवाश्म ईंधन खपत को कम करने के अवसरों का पता लगाना तथा देश में स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता करना है।

(ड़) जैसाकि उपरोक्त में बताया गया है कि सेवा प्रदाताओं को कार्बन फुटप्रिंट में कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट मानदंडों की तर्ज पर 'कार्बन क्रेडिट नीति' विकसित करने के लिए कहा गया है।

(च) दूरसंचार विभाग के अधीन दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र (टीईसी) स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि दूरसंचार उत्पादों, उपस्करों के प्रमाणन के लिए मॉडल प्रयोगशाला सुविधा स्थापित की जा सके तथा ईसीआर रेटिंग के आधार पर सेवा तथा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा प्रयुक्त माप-तौल प्रक्रियाओं को निरूपित करके 'ईसीआर दस्तावेज' को अंतिम रूप दिया जा सके। टीईसी से भी यह कहा गया है कि इस बाबत आवश्यक व्यवस्था की जाए जिसमें दूरसंचार नेटवर्क में सभी दूरसंचार उत्पाद, उपस्कर तथा सेवाओं में ऊर्जा एवं निष्पादन संबंधी मूल्यांकन किया जा सके तथा ईसीआर रेटिंग के आधार पर "हरित पासपोर्ट" प्रमाणित किया जा सके तथा "ऊर्जा पासपोर्ट" का निर्धारण किया जा सके।

*****